कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उार प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री तलवार इण्टरप्राइजेज प्रा0 लि0, 39 / 15-बी, मेस्टन रोड, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**032 / 13, 10.07.2013**
प्रार्थी की ओर से	**श्री नरेन्द्र शर्मा, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री तलवार इन्टरप्राइजेज प्रा0 लि0, 39 / 15-बी, मेस्टन रोड, कानपुर द्वारा दिनांक 10.07.2013 को उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

Is ' photographic paper ' taxable under the provisions of UP Tax on Entry of Goods Act, 2007?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु विद्वान अधिवक्ता-श्री नरेन्द्र शर्मा उपस्थित हुए। प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये, जिसमें कहा गया है कि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 एवं प्रवेश कर अधिनियम में ' Papers ' का कोई अर्थ नहीं दिया गया है। प्रवेश कर अधिनियम की धारा-2 (2) में यह उल्लिखित है कि इस अधिनियम में जो शब्द परिभाषित नहीं हैं, उनकी परिभाषा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम से ग्रहण की जायेगी। प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची में क्रमांक-6 के अनुसार '' Paper meant for writing, printing or packing purposes excluding news print '' पर प्रवेश कर की देयता प्राविधानित है। इसी प्रकार से उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-92 में ही '' Paper of all kinds.....meant for writing, printing, copying, packing or for any other purpose.....शब्दावली का प्रयोग किया गया है।

उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-99 के अनुसार ' Photographic Paper ' और X-ray film को क्रमांक-92 की ' Paper ' सम्बन्धी प्रविष्टि में सम्मिलित न मानकर, पृथक प्रविष्टि क्रमांक-99 में की गयी है। इस प्रकार प्रवेश कर अधिनियम की प्रवष्टि-6 का अर्थ वही ग्रहण किया जाना चाहिए, जो उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-92 पर है। इसमें प्रवेश कर अधिनियम के प्रयोजन के लिए, प्रविष्टि के क्रमांक-99 पर उल्लिखित वस्तुओं को सम्मिलित नहीं माना जा सकता है। यह भी कहा कि प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति में ' लिखने, मुद्रण एवं पैकिंग में उपयोग कागज ' पर प्रवेश कर की देयता है। ' Photographic Paper ' का उपयोग भिन्न है। पूर्व में कमिश्नर, व्यापार कर, उार प्रदेश द्वारा परिपत्र संख्या-1800, दिनांक 11.12.2002 भी जारी किया गया था, जिसमें ' Photographic Paper ' को कागज से भिन्न माना है। अत: ' Photographic Paper ' का उपयोग भिन्न होने के कारण, प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति में ' Paper ' की प्रविष्टि में इसे सम्मिलित नहीं माना जाना चाहिए तथा इस पर प्रवेश कर की देयता नहीं बनती है। विद्वान अधिवक्ता को

.....2

सुनवाई के दौरान यह अवगत कराया गया कि प्रश्नगत मामले में प्रवेश-कर आरोपित करने के उपरान्त कार्यवाही प्रथम अपील स्तर पर विचारणीय है। ऐसी स्थिति में धारा-59 (4) एवं धारा-59 (1) के प्राविधान के अनुसार प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसका कोई सन्तोषजनक उार नहीं दिया गया। अन्त में प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी पर 2% की दर से प्रवेश कर आरोपित है, जिसकी प्रथम अपील अनिस्तारित है। अत: प्रकरण अपील में विचाराधीन होने के कारण उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी के मामले में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रवेश कर आरोपित किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील स्तर पर कार्यवाही विचारण में है। उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में यह प्राविधानित है कि '' कोई प्रश्न, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो, इस धारा के अधीन विनिश्चय के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा। '' इसी प्रकार उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में भी यह प्राविधान किया है कि " यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, '' तभी धारा-59 के अन्तर्गत विनिश्चिय किया जा सकता है। प्रश्नगत मामले में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रवेश कर निर्धारण के उपरान्त, प्रथम अपील विचारण में है। ऐसी स्थिति में उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) एवं उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार धारा-59 का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण, स्वीकार योग्य नहीं है।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन-प्रथम, कानपुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी के मामले में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रवेश कर आरोपित किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील स्तर पर कार्यवाही विचारण में है। उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में यह प्राविधानित है कि '' कोई प्रश्न, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो, इस धारा के अधीन विनिश्चय के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा। '' इसी प्रकार उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में भी यह प्राविधान किया है कि " यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, '' तभी धारा-59 के अन्तर्गत विनिश्चिय किया जा सकता है। प्रश्नगत मामले में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रवेश कर निर्धारण के उपरान्त, प्रथम अपील विचारण में है। ऐसी स्थिति में उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) एवं धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है, जिसे अस्वीकार किया जाता है।

....3

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाये।

दिनांक 02 सितम्बर, 2013

ह0 / 02.09.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उार प्रदेश, लखनऊ।